13.7.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान - न्यायालय केम्प स्थल - अटल सेवा केन्द्र जुमा भगतपुर मे पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। विप्रार्थी सं. 1 से 4 एकतरफा। विप्रार्थी सं. 5 अनुपस्थित।

वकील प्रार्थी की बहस दिनांक 11.7.17 को सुनी गई थी। वकील प्रार्थी की बहस की कि प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 से 4 की पैतृक व पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम- कोशलू तहसील सिवाना की खसरा संख्या 75 व 119 कुल रकबा 26.18 बीघा आई हुई है। जिसमे 1/5 हिस्सा प्रार्थी व 1/5, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 4 प्रत्येक का है और प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि के हिस्से अलग हुए नहीं होने एवं विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण आये दिन विप्रार्थी सं. 1 से 4 प्रार्थी के कब्जे काश्त वाली भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे रहते है और प्रार्थी को काश्त वाली भूमि को बेदखल किये जाने की धमकियां दी जाती रही है। जबकि विप्रार्थी सं. 1 से 4 को ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा करने मे सफल हो गये तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी। अतः प्रार्थी के

सहायक कलेक्टर,
SD

पक्ष मे विपक्षीगण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया जावे कि वे विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया एंव विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। जिससे पाया कि ग्राम - मोहाछू तहसील तिलहरी की खेत खसरा संख्या 75 व 119 कुल रकबा 26-18 बीघा भूमि के वादी व विपक्षी नि. 1 से 4 रिकार्ड सहखातेदार है। जो पत्रावली के संलग्न जमांबदी संवत 2073 से 2076 तक से प्रमाणीत है। जिसमे खातेदारान के हिस्से खुले हुये नही है। वादी व विपक्षी नं. 1 से 4 विवादित भूमि के सहखातेदारान है और विधिवत बंटवारा के बिना प्रत्येक खातेदारान का प्रत्येक कण २ पर बराबर कारज माना जाता है और सहखातेदारान को स्थगन आदेश से पांबद नही किया जा सकता है। क्योंकि

सहायक कलेक्टर
SDO तिजारा

Scanned by CamScanner

ऐसा किये जाने से विपक्षी को क्षति होगी। न कि प्रार्थी को। एवं प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, कि प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति हो रही है। जबकि विपक्षी सं. 1 ता 4 भी विवादित भूमि के सहखातेदार है और सहखातेदार के विरुद्ध स्थगन जारी करने से उन्हे नुकसान हो सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे नही बनते है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश पक्षो आज सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार बेकार दाखिल दफ्तर हो।

ह०
13/3/17

सहायक कलक्टर
SDO [illegible]